# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026 (5 फाल्गुन, शक संवत् 1947)

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई**

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

### 1. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा डॉ. विक्रांत भूरिया, सदस्य को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं एवं नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार ने सदन को अवगत कराया कि आज मध्यप्रदेश में अदिवासियों का भगोरिया त्यौहार शुरू हो रहा है इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय मैं आपको और पूरे सदन को भगोरिया पर्व की बधाई देना चाहता हूँ. इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सदन को अवगत कराया कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज नेता प्रतिपक्ष जी ने भी भगोरिया पर्व के प्रारंभ होने की सूचना दी लेकिन मैं, यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी अपनी सरकार ने इसको राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने का निर्णय किया है और कोशिश कर रहे हैं कि बड़वानी, धार एवं झाबुआ सेक्टर्स में हमारी कृषि कैबिनेट अच्छे से हो ताकि भगोरिया पर्व के साथ-साथ आदिवासी अंचल के साथ सरकार के खड़े होने की प्रतिबद्धता भी दिखाई जा सके.

आसंदी द्वारा भी भगोरिया पर्व के अवसर पर सदन की ओर से सभी आदिवासी भाइयों और बहनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं दी गईं.

### 2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 143 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

### 3. स्वागत उल्लेख

प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की दर्शक दीर्घा में पूर्व मंत्री, श्री कैलाश चावला एवं श्री ध्यानेन्द्र सिंह की उपस्थिति पर सदन की ओर से उनका स्वागत किया गया.

## 4. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सूचनायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री विपीन जैन सदस्य ने मंदसौर स्थित कालाखेत शापिंग काम्प्लेक्स और उसके आस-पास के क्षेत्र में साठिया समुदाय के अतिक्रमण को न हटाये जाने,
(2) श्री मोहन सिंह राठौर सदस्य ने उम्मेदगढ विकास खण्ड घाटी गांव में माध्यमिक शाला का नया भवन बनाये जाने,
(3) श्री आरिफ मसूद सदस्य ने भोपाल स्थित काली मंदिर से अल्पना तिराहे तक मुख्य मार्ग पर डिवाईडर बनाये जाने,
(4) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर सदस्य ने पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं की कमी होने,
(5) श्री आशीष गोविंद शर्मा सदस्य ने पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत कृषि पंपों की प्रदाय क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को ठीक न कराये जाने,
(6) श्री निलेश पुसाराम उइके सदस्य ने नगर परिषद् चित्रकूट में आरक्षण नियमों का पालन न किये जाने,
(7) श्री सुरेश राजे सदस्य ने तहसील डबरा को जिला बनाये जाने,
(8) श्री मुकेश टंडन सदस्य ने विदिशा जिला चिकित्सालय नये भवन को मेडिकल कॉलेज एवं पुराने भवन को नगरपालिका को सौंप कर नया जिला चिकित्सालय भवन स्वीकृत किये जाने,
(9) श्री दिनेश गुर्जर सदस्य ने रंचौली मुख्य मार्ग से "घटाने का पुरा" तक सडक निर्माण किये जाने एवं
(10) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर सदस्य ने टीकमगढ जिले में पत्रकार एवं उनके परिवार से मार-पीट के दोषियों पर कार्यवाही न की जाने.

## 5. कैबिनेट निर्णय संबंधी उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्यमंत्री ने निवेदन किया कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने कृषकों को कैसे लाभ दें उसके ऊपर वक्तव्य दिया था और आज ही कृषक भाइयों को सुविधा देने का निर्णय मंत्रिमण्डल में लिया गया है. मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के उस निर्णय से सदन को अवगत कराएँ.

तदुपरांत डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के किसान हितैषी निर्णय से सदन को अवगत कराया.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री जी को किसानों को सौगातें देने वाले निर्णय पर धन्यवाद देते हुए कहा कि आज हमारे नेता जी आ रहे हैं, तो उनके दबाव के कारण यह सौगातें तो नहीं दे दी ?

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – जब सदन चल रहा हो और उस समय कैबिनेट में अगर कुछ बड़े निर्णय होते हैं तो सदन में रखने की यह पद्धति है. मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए.

## 6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री** ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-2025 पटल पर रखी.
(2) **श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री** ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 15 वां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, 16 वां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, 17 वां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 तथा 18 वां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखे.

(3) **श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री** ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नांकित अधिसूचनाएं:-
(क) क्रमांक TRP-0057-2025-Sec-1आठ-(TRP), दिनांक 12 जनवरी, 2026,
(ख) क्रमांक एफ-22-02-2019-आठ, दिनांक 16 जनवरी, 2026,
(ग) क्रमांक TRP-0086-2025-Sec-1आठ-(TRP), दिनांक 23 जनवरी, 2026,
(घ) क्रमांक 3-3-0004-2025-Sec-1-आठ-(TRP), दिनांक 23 जनवरी, 2026,
(ङ) क्रमांक TRP/15/0007/2025-Sec-1-08(TRP),दिनांक 29 जनवरी, 2026, तथा
(च) क्रमांक TRP-3-0001-2025-Sec-1आठ-(TRP), दिनांक 09 फरवरी, 2026, पटल पर रखी.

## 7. ध्यानाकर्षण

(1) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य** ने खरगोन जिले के भीकनगांव एवं झिरन्या क्षेत्र अंतर्गत जमीनों का बन्दोबस्त कार्य न कराए जाने से राजस्व संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री राजन मण्डलोई, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

(2) **श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य** ने जिला सिवनी एवं केवलारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नहर निर्माण/सीमेंटीकरण का कार्य पूर्ण न होने से कृषकों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री तुलसी सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री रजनीश हरवंश सिंह, श्री अजय अर्जुन सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल एवं श्री जयवर्धन सिंह सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय सदस्य द्वारा इंदौर और भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुण्डागर्दी एवं पत्थरबाजी के संबंध में दिये गये ध्यानाकर्षण पर आसंदी से निवेदन किये जाने पर व्यवधान की स्थिति निर्मित हो जाने पर विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 12.49 बजे से 05 मिनिट तक के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 12.55 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

## 8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

**श्री हरिशंकर खटीक, सभापति** ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां एवं उनतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

## 9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.
(1) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-**कटनी)
(2) **श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके (जिला-**बैतूल)
(3) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**दतिया)
(4) **श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-**भोपाल)
(5) **श्री अरूण भीमावद (जिला-**शाजापुर)
(6) **डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-**ग्वालियर)

(7) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(8) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(9) श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-सिवनी)
(10) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-नरसिंहपुर)
(11) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(12) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(13) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिंदवाड़ा)
(14) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(15) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(16) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(17) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(18) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(19) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(20) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
(21) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(22) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(23) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(24) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
(25) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(26) इंजीनियर प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(27) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(28) श्रीमती रीती पाठक (जिला-सीधी)
(29) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(30) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(31) श्री मोंटू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(32) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(33) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(34) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(35) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(36) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला-छतरपुर)
(37) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(38) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(39) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(40) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(41) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(42) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मण्डला)
(43) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(44) श्री मोहन शर्मा (जिला-राजगढ़)
(45) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
(46) श्री ऋषि अग्रवाल (जिला-गुना)
(47) डॉ. प्रभुराम चौधरी (जिला-रायसेन)
(48) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)

(49) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**टीकमगढ़)
(50) **श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-**बालाघाट)
(51) **डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-**हरदा)
(52) **श्री अनिल जैन (जिला-**निवाड़ी)
(53) **श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-**शहडोल)
(54) **श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-**सिवनी)
(55) **श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-**बालाघाट)
(56) **श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-**अलीराजपुर)
(57) **श्री भैरो सिंह बापू (जिला-**आगर मालवा)
(58) **श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-**ग्वालियर)
(59) **श्रीमती प्रियंका पैंची (जिला-**गुना)
(60) **श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला-** नर्मदापुरम)
(61) **श्री प्रदीप पटेल (जिला-**मऊगंज)
(62) **श्री उमाकांत शर्मा (जिला-**विदिशा)
(63) **श्रीमती कंचन मुकेश तनवे (जिला-**खण्डवा)
(64) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-**भिण्ड)
(65) **श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-**छतरपुर)
(66) **श्री महेंद्र रामसिंह यादव (जिला-**शिवपुरी)
(67) **कुँवर अभिजीत शाह (जिला-**हरदा)
(68) **श्री केदार चिडाभाई डावर (जिला-**खरगोन)
(69) **श्री केशव देसाई (जिला-**भिंड)
(70) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-**सीहोर)
(71) **श्री रामेश्वर शर्मा (जिला-**भोपाल)
(72) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-**जबलपुर)
(73) **श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-**बालाघाट)
(74) **श्री मथुरालाल डामर (जिला-**रतलाम)
(75) **श्री भगवानदास सबनानी (जिला-**भोपाल)

## 10. संविहित संकल्प

श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री पर्यावरण ने संकल्प प्रस्तुत किया कि – यत: जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखने या पूर्ववस्था में लाने के लिए पूर्वोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करने उनसे संबंधित शक्तियां और ऐसे बोर्डों को प्रदत्त करने और समनुदेशित करने और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु संसद ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) अधिनियमित किया था.

और यत: विधि के प्रवर्तन में कतिपय कमियां देखी गई है और तद्नुसार संसद ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 (2024 का 5) अधिनियमित किया गया है.

और यत: इस विधान सभा ने 28 दिसम्बर, 1973 को उक्त अधिनियम को अंगीकृत करने का संकल्प पारित किया था.

और यत: यह वांछनीय है कि संसद द्वारा बनाये गये उक्त अधिनियम को मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद् द्वारा, यह संकल्प करती है कि जल (प्रदूषण निवरण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 (2024 का 5) मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा मत व्यक्त किया गया कि इस संकल्प को तो अंगीकृत ही करना है. इसमें चर्चा की आवश्यकता नहीं है.

**तदुपरांत संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.**

## 11. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

| | | |
|---|---|---|
| (1) | अनुदान संख्या – 22 | नगरीय विकास एवं आवास के लिये बीस हजार अठासी करोड, चौसठ लाख, इक्तीस हजार रूपये एवं |
| | अनुदान संख्या – 28 | राज्य विधान मण्डल के लिये एक सौ इक्यावन करोड, छियानवें लाख, इक्यावन हजार रूपये |

तक की राशि दी जाय.

**प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ**

## 12. अध्यक्षीय घोषणा

### सदन की लॉबी में भोजन की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ‘‘माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्य सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.’’

## 13. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) श्री आशीष गोविन्द शर्मा

विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 01.03 बजे से 03.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 03.12 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

## 14. इन्दौर के भागीरथपुरा में मृतकों की संख्या के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री का स्पष्टीकरण

अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन को अवगत कराया गया कि - अध्यक्ष महोदय, माननीय जयवर्द्धन सिंह जी ने प्रश्नकाल में उस दिन प्रश्नोत्तरी दिखाकर मुझसे कहा था कि आपके एक ही प्रश्न के उत्तर में दो मृत्यु संख्या बताई गई है. आपने शायद उसको पूरा नहीं पढ़ा, बाद में उसको मैंने घर जाकर पूरा पढ़ा तो वास्तव में उसमें टोटल 32 मृत्यु लिखी है. पर डेथ विथ डायरिया वह 20 प्लस 2 बाद में उन्होंने बताई. बाकी डेथ ऑडिट और डेथ एनॉलिसिस की रिपोर्ट भी उसमें थी जो कि डायरिया से नहीं हुई है, उनकी नेचुरल डेथ हुई है. इसलिए डेथ तो बराबर थी, पर डायरिया से 22 डेथ ही हुई थी.

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि - ठीक है, इसको दुरुस्त करवा लेंगे. मैंने भी कार्यवाही बुलाकर इसको देख लिया था.

## 15. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(2) श्री जयवर्द्धन सिंह
(3) श्री उमाकांत शर्मा

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए}

(4) श्री राजेश कुमार वर्मा
(5) श्रीमती ललिता यादव
(6) श्री लखन घनघोरिया

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

(7) श्री रामनिवास शाह
(8) श्री आतिफ आरिफ अकील
(9) श्री दिलीप सिंह परिहार
(10) श्री दिनेश गुर्जर
(11) श्रीमती महेश सेना पटेल
(12) श्री ओम प्रकाश सखलेचा

## 16. अध्यक्षीय घोषणा

### (1) सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद 7 के पद 2 एवं 3 में सम्मिलित मांगे पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

### (2) सदन की लॉबी में स्वल्पाहार की व्यवस्था

सभापति महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''माननीय सदस्यों के लिये चाय की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्य सुविधानुसार चाय ग्रहण करने का कष्ट करें.''

## 17. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(13) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

(14) श्री उमंग सिंघार

## 18. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था की गई कि - डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बजट भाषण की कापी नहीं दी गई तो मैं उसको विलोपित कर रहा हूँ क्योंकि बजट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद भाषण की कापी, मेरा बजट और मुख्य फोकस बजट का, वह सबको उपलब्ध कराई गई है आपके ध्यान में रहे.

## 19. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

**कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए**
**मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

अपराह्न 06:52 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 (6 फाल्गुन, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**अरविन्द शर्मा**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल**
**दिनांक: 24 फरवरी, 2026**